मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 12, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. बधाई

विदिशा लोकसभा क्षेत्र से श्री रामपाल सिंह, सदस्य के निर्वाचित होने पर अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर, उपाध्यक्ष महोदय श्री हजारी लाल रघुवंशी, सदस्य श्री आरिफ अकील, श्री इन्द्रजीत कुमार, श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक ने बधाई दी । इस पर श्री रामपाल सिंह, सदस्य ने सभी का आभार माना।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले में स्थित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों, आश्रमों व आवासीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं न मिलने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने ग्वालियर शहर मोजा सिरोला गांव की 10 बीघा जमीन शासकीय सर्वे राजस्व अधिकारियों की सांठ गांठ कर निजी स्वामित्व में चढ़ाकर बेचे जाने,

(3) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के पोलायकला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी जिले के बड़वाह विधान सभा क्षेत्र कटनी शहडोल बरही राष्ट्रीय राजमार्ग 78 पर अनेक जगह बड़े-बड़े गड्डे होने एवं वाहनों के आवागमन से भारी असुविधा होने,

(5) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने प्रदेश के किसानों को बिजली की पूर्ति एवं खराब ट्रांसफार्मर तत्काल सुधारे जाने,

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने हमीदिया चिकित्सालय में केंसर रोगियों के इलाज का अभाव होने,

(7) श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य ने जनपद पंचायत अनूपपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत पदों की भर्ती में भ्रष्टाचार किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2005-2006, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2005-2006,

(ख) दि स्टेट फायनेंशियल कारपोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, तथा

(ग) मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित, भोपाल का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए,

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 6-6-06-इक्कीस-ब-दो, दिनांक 2 सितम्बर, 2006,

(5) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

(6) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002,

(7) श्री रुस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 1998 तथा दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए),

(8) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, गृह ने -

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2003-2004; तथा

(ii) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005,

पटल पर रखे।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 11 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2006 (क्रमांक 16 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2006),

(2) मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2006),

(3) मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2006),

(4) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2006),

(5) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2006),

(6) मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2006),

(7) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2006) ,

(8) मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2006),

(9) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2006),

(10) मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2006),

(11) मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 29 सन् 2006),

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों, केवल वे ही एक एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने रीवा नगर के समीप गोविंदगढ़ तालाब में निजी यात्री बस गिरने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री राजेन्द्र कुमार सिंह एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य सहित नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा रीवा नगर के समीप गोविंदगढ़ तालाब में निजी यात्री बस गिरने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा रीवा नगर के समीप गोविंदगढ़ तालाब में निजी यात्री बस गिरने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर में बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता मुहैया न हो पाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने म.प्र. राज्य हस्तशिल्प विकास निगम के कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य ने प्रदेश की सहकारी समितियों द्वारा कृषकों से अधिक दर से ब्याज की वसूली किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन

(2) श्री ज्ञान सिंह

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

(6) श्री लाल सिंह आर्य

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसवां से इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति का नवम् एवं दशम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 6 नवम्बर, 2006 को दो घंटे का समय नियत किया गया।

11. वक्तव्य

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 21 मार्च, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 2110) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(12.40 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2005) सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका)

12. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वेरावल से जबलपुर चलने वाली राजकोट एक्सप्रेस क्रमांक 1463 एवं 1465 को रीवा तक चलाया जावे तथा जबलपुर से वेरावल तक चलने वाली राजकोट एक्सप्रेस क्रमांक 1464 एवं 1466 को रीवा से प्रारंभ कर वेरावल तक चलाया जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) श्री इन्द्रजीत कुमार
(२) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(३) श्री रामलखन शर्मा

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल शहर के समस्त वार्डो को गैस पीड़ित घोषित किया जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) श्री आरिफ अकील
(२) श्री रामलखन शर्मा
(३) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

श्री बाबूलाल गौर, गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(3) श्री दुर्गालाल विजय, (श्री रामनिवास रावत), सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ग्वालियर से श्योपुर नैरोगेज रेल लाईन को ब्राडगेज रेल लाईन में परिवर्तित करते हुये कोटा (राजस्थान) तक रेलवे लाईन बढ़ाई जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री ओम प्रकाश खटीक सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

04.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 15, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.